कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अ ज मे र

क्रमांक/स्था./2026/156 दिनांकः 19/3/26

::आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 666 दिनांक 30.10.1985, आदेश क्रमांक 748 दिनांक 02.12.1985 एवं आदेश क्रमांक 508 दिनांक 11.06.1993 द्वारा निम्न अधिवक्तागण जिनको मूल आवंटी के रूप में पुराने न्यायालय भवन, अजमेर में चैम्बर निर्माण हेतु भूमि आवंटित की गई थी, के लाईसेंस माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पी.आई. नं. 22/2016 दिनांक 02.09.2016 के Rules for allotement of Lawyers in Subordinate Courts of Rajasthan, 2016 के नियम 16 (d) के अनुसार मूल आवंटी की मृत्यु होने के कारण Terminate किये जाते हैंः–

क्र.सं.	चैम्बर संख्या	मूल आवंटी अधिवक्ता का नाम
1	2	3
1	02	श्री विष्णु चैनानी
2	03	श्री माणकचंद जैन
3	04	श्री एस.सी. छुगानी
4	06	श्री डी.पी. गर्ग
5	07	श्री पी.आर.एस. धवन
6	08	श्री एस.के. वर्मा
7	09	श्री रामगोपाल अग्रवाल
8	10	श्री मदन सिंह
9	13	श्री एल.के. भार्गव
10	14	श्री अमरचंद गांधी
11	16	श्री पी.सी. जैन
12	17	श्री जे.एस. सोढी
13	20	सुश्री शैल कुलश्रैष्ठ
14	21	श्री आर.एन. अग्रवाल
15	22	श्री किशन मोटवानी
16	23	श्री लक्ष्मणदास
17	28	श्री पी.पी. गांधी
18	29	श्री एस.एन. रिझवानी
19	30	श्री आर.सी. भार्गव

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 19/3/26

क्रमांकः 8064-8090 दिनांकः 19/3/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, नवीन न्यायालय भवन संयोगिता नगर, अजमेर में अधिवक्तागण के नवनिर्मित चैम्बर्स आवंटन हेतु गठित कमेटी एवं न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, अजमेर
2. अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसियेशन, अजमेर
3. कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, अजमेर
4. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, अजमेर को जिला न्यायालय, अजमेर की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
5. प्रतिनिधि अधिवक्तागण
6. नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय, अजमेर
7. नोटिस बोर्ड बार एसोसियेशन, अजमेर जरिये अध्यक्ष बार एसोसियेशन, अजमेर

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 19/3/26